



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2015/माघ 10, 1936

No. 210]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2015/MAGHA 10, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015

का. आ. 288(अ).—केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4क के उपनियम (1) के अनुसरण में; उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों को करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिणी जोन, बेंगलुरु में क्षेत्रीय सशक्त समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथा क्षेत्रीय सशक्त समिति कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

- | | | |
|-------|---|------------------|
| (i) | अध्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिणी जोन, बेंगलुरु | अध्यक्ष |
| (ii) | मुख्य वनपाल या वनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिणी जोन, बेंगलुरु की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी | सदस्य |
| (iii) | श्री सुहास जगन्नाथ गोडसे
म.सं. 525ए, वोडलेम भट,
पांडुरंग मंदिर के समीप, वोडले भट,
तुलिगाओ, पी.ओ. कारणजेलम,
तिस्वादि, गोवा | अशासकीय
सदस्य |
| | (ई मेल - godseshuhas@gmail.com) | |
| (iv) | डा. बी. शिवाराजू
नं. 4, 5वां मैन, 9वां क्रॉस, राधाकृष्ण लेआउट,
पद्मनाभनगर, बेंगलुरु-560070 | अशासकीय
सदस्य |

(ई मेल – bshivaraju2010@rediffmail.com)

- (v) श्री ऐ.एन. येल्लप्पा रेड्डी, अशासकीय
म.सं. 9/सी, प्रथम ए मैन, चौदहवां बी क्रॉस सदस्य
पंचम ब्लाक, आईएएस ऑफिसर्स कॉलोनी, छटवां सेक्टर,
एचएसआर लेआउट, बंगलुरु 560102 कर्नाटक

(ई मेल – yellappareddy38@gmail.com, tharac@yahoo.com)

- (vi) उपवनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिणी जोन, बंगलुरु सदस्य-सचिव
की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी

2. इसके नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों के नीचे उल्लिखित अधिकारी उनके अपने-अपने राज्यों में वन भूमि के अपयोजन से संबद्ध प्रस्तावों के परीक्षण के लिए क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) कर्नाटक सरकार:

- (i) अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण), वन विभाग, कर्नाटक सरकार;
(ii) अतिरिक्त सचिव, राजस्व विभाग, कर्नाटक सरकार;

(ख) केरल सरकार:

- (i) अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण), वन विभाग, केरल सरकार;
(ii) अतिरिक्त सचिव, राजस्व विभाग, केरल सरकार;

(ग) गोवा सरकार:

- (i) वनपाल (एफ सी), वन विभाग, गोवा सरकार;
(ii) अतिरिक्त सचिव, (प्रशासनिक सुधार प्रभाग), राजस्व विभाग, गोवा सरकार;

(घ) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन:

- (i) प्रशासक, लक्षद्वीप प्रशासन, लक्षद्वीप कार्यालय, विलिंगटन द्वीपों, कोचीन-3;
(ii) वनपाल, लक्षद्वीप द्वीपों, कवारत्ती;

3. अशासकीय सदस्यों के नियुक्ति की निबंधनों और शर्तें उक्त नियम के नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगी।

[फा. सं. 6-17/2014-आरओएचक्यू]

डा. एस.एस. नेगी, अति. वन महानिदेशक (एफ सी)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE
(REGIONAL OFFICES HEADQUARTERS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2015

S.O. 288(E).—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4A of the Forest (Conservation) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government hereby constitutes the Regional Empowered Committee at Regional Office, Southern Zone, Bangalore (hereinafter referred to as the Regional Empowered Committee) to exercise the powers and to perform the functions specified therein, comprising of the following Members, namely:—

- (i) Head of the Regional Office, Southern Zone, Bangalore **Chairperson**
- (ii) Seniormost officer from amongst officers in the rank of Chief Conservator of Forests or Conservator of Forests in the Regional Office, Southern Zone, Bangalore **Member**